

08-12-21.

वकील उभय पक्ष उप०। उभय पक्ष को चुना वकील पार्थी ने ७०० पत्र स्वीकार कर मूल पत्रा को नम्बर पर लेने का निवेदन किया जबकि में अधि० रेव्यो/अपार्थी का कथन है इस ७०० पत्र को स्वीकार कर उससे पूर्व के राज प्रा० पत्र को नम्बर पर लिया जावे परन्तु मूल पत्रा को नम्बर पर लिखे जाने से पूर्व दो राज दायरी ७०० पत्र और ६१ जिन्हे स्वीकार किया जाना है उनके लिए बट्स के लिये समय दिया जाने उभय पक्ष के तर्कों पर भक्त किया। अब ७०० पत्र राज दायरी डि. 07-12-21 स्वीकार किया जाता है। ७०० पत्र 16/07 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फेसल शुभार लेकर नम्बर से कम की जावे, पत्रावली मूल पत्रावली के संगठन रहे।

भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)